तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./4439/2022/जयपुर **हनुमान बनाम गजानंद व अन्य**	
21-10-2025	**एकल-पीठ** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **उपस्थितः-** (1) श्री सी.पी. पाराशर, अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री हीरालाल सैनी, अभिभाषक अप्रार्थीगण **निर्णय** **1-** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी जयपुर(प्रथम) के आदेश दिनांक 26-7-2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। **2-** प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 ने विचारण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी व मूल प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दौराने प्रार्थना पत्र इसमें प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी बाबत मूल प्रार्थना पत्र में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 26-07-2022 के द्वारा स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। **3-** उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4- प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों अनुसार बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि उपखण्ड अधिकारी, जयपुर(प्रथम) द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा मौके पर किये गये परिवर्तन पश्चातवर्ती होने के आधार पर संशोधन हेतु प्रस्तुत किया जबकि प्रार्थी वगैरह के मकान व पशुओं का बाड़ा वर्ष 2015 से ही बने हुए हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./4439/2022/जयपुर</u>** **हनुमान बनाम गजानंद व अन्य**	
	पड़ौसी व सींवजोड़ काश्तकार हैं, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को प्रार्थी वगैरह के द्वारा किये गये पुख्ता निर्माण की जानकारी प्रार्थना पत्र पेश करने का बाद होने का कथन सरासर गलत है। तहसीलदार चौमूं से प्राप्त रास्ता दिये जाने बाबत रिपोर्ट अनुसार मौके पर चाहे गये रास्ते के आंशिक भाग पर आवासीय मकान व पशुबाड़ा मय बोरिंग कृषि उपयोग किया जा रहा है जिससे अप्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते पर रास्ता दिया जाना संभव न होने से तहसीलदार द्वारा वांछित रास्ते की नाप व डीएलसी दर भी नहीं बतायी गयी है। आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के प्रावधान प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होते हैं इसलिए अप्रार्थीगण को नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में आगे कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में वांछित संशोधन किये जाने से उनके द्वारा पूर्व में अंकित किये गये तथ्य एवं वांछित अनुतोष स्वयं अनुसार ही विरोधाभासी होने से प्रार्थना पत्र की प्रकृति में बदलाव आयेगा। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है। अप्रार्थीगण मात्र उन्हें हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र धारा 251 ए में संशोधन कराना चाहते हैं जो निश्चित तौर पर त्वरित न्याय के मूल सिद्धांतों की अवहेलना है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे। **5–** जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस बताया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2939 रकबा 4.36 हैक्टर में आवागमन हेतु प्रार्थी वगैरह की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2938 में से वैकल्पिक नजदीकी रास्ते के अनुतोष हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के पश्चात व प्रथम रिपोर्ट तहसीलदार चौमू से प्राप्त होने के मध्य प्रार्थी वगैरह द्वारा प्रस्तावित रास्ता संलग्न नक्शा मार्क ए से बी के स्थान पर पुख्ता निर्माण कर लिये जाने से विवादित रास्ते को नजरी नक्शे में सी से डी भाग लाल रंग से प्रदर्शित किया जाने का संशोधन करने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार करने से एवं वांछित संशोधन से प्रार्थना पत्र की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./4439/2022/जयपुर</u>** **हनुमान बनाम गजानंद व अन्य**	

प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है। पश्चातवर्ती घटना के आधार पर प्रार्थना पत्र में संशोधन का अधिकार शेष रहता है। मूल प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत होने से इस पर आदेश 6 नियम 17 के प्रावधान लागू होते हैं। संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जावे।

6– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा आलौच्य निर्णय का गहनता से विश्लेषण किया गया। विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण (जो कि हस्तगत निगरानी में अप्रार्थीगण हैं) ने उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2939 से आम रास्ता खसरा नम्बर 2929/4061 तक जाने में बीच में प्रार्थी/ अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2938 में से रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु धारा 251 ए के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा मूल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे में प्रस्तावित रास्ता ए से बी स्थान पर आवेदन पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा मकान, पशु बाड़ा आदि निर्मित कर लिया जाने से विकल्प में आदेश 6 नियम 17 के तहत आवेदन कर सी से डी स्थान पर रास्ता दिये जाने बाबत अपने प्रार्थना पत्र में संशोधन चाहा गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों का पक्ष सुनकर आदेश दिनांक 26–7–2022 द्वारा अपना विवेचन उल्लेखित करते हुये स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दोनों पक्षों के लिखित पक्ष तथा तहसीलदार चौमू से प्राप्त रिपोर्टो का भी अवलोकन किया गया। हमारा अभिमत है कि प्रार्थीगण ने पूर्व में उल्लेखित 2938 में से ही अपनी भूमि से आम रास्ता तक आवागमन हेतु संशोधित विकल्प स्वरूप अपने प्रार्थना पत्र धारा 251 ए में दूसरे स्थान से रास्ता देने बाबत संशोधन चाहा गया है, इसलिए संशोधन से मूल प्रार्थना पत्र की प्रकृति व रिलीफ पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों के परीक्षण अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप योग्य त्रुटि नहीं होना मानते हैं।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./4439/2022/जयपुर</u>** **हनुमान बनाम गजानंद व अन्य**	
	7– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत निगरानी सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) का निर्णय दिनांक 26–7–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णीत शुमार रहे। विचारण न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। उभयपक्ष उपखण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) न्यायालय में सुनवाई हेतु **<u>दिनांक 20–11–2025</u>** को उपस्थित रहने बाबत सूचित रहें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	